# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(S.D.O.), शिवगंज जिला–सिरोही

बइजलास श्रीमती शकुंतला, आर0ए0एस0

**अपीलान्ट** **बनाम** **रेस्पोंडेंट**

स्व. नारायण पुत्र शंकरलाल जी जाति माली निवासी शिवगंज हाल फालना स्टेशन के कायम मुकाम वारिसान एवं वैध प्रतिनिधिगण–

1. श्रीमती देवीबाई धर्मपत्नी स्व. नारायणलाल जी
2. विष्णु पुत्र स्व. नारायणलाल जी
3. मुकेश पुत्र स्व. नारायणलाल जी
4. धीरज उर्फ गुड्डी पुत्री स्व. नारायणलाल जी

जाति माली निवासीयान शिवगंज हाल निवासी फालना स्टेशन तहसील बाली जिला पाली

1.देवाराम पुत्र शंकरलाल जी
2.कानाराम पुत्र शंकरलाल जी
3.कैलाश पुत्र शंकरलाल जी
जाति माली निवासी छीपावास शिवगंज तहसील शिवगंज
4.गणेशलाल पुत्र शंकरलाल जी जाति माली निवासी छीपावास, वडगांव रोड, शनिश्चर महाराज मंदिर के पास शिवगंज
5.कमला पुत्री शंकरलाल जी धर्मपत्नी कानाराम जी जाति माली निवासी बोया तहसील बाली जिला पाली
6.गीता पुत्री शंकरलाल जी धर्मपत्नी गोपीलालजी जाति माली निवासी वडगांव रोड, शनि महाराज मंदिर के पास, शिवगंज
7.सरपंच, ग्राम पंचायत वडगांव

**विद्वान अधिवक्ता श्री महेन्द्र गहलोत**

**विद्वान अधिवक्ता श्री कांतिलाल सोनी (1 ता 3 व 5,6)**
**विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह (4)**

**राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम**

**राजस्व अपील संख्यां–25/2020**

## – : निर्णय : –

**दिनांक 03.08.2024**

उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (सिरोही)

उपरोक्त अनवान सदर में अपीलाण्ट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 व राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 3811 दिनांक 07.09.2016 निरस्त करने का पेश किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मर्यादा अधिनियम का विरूद्ध रेस्पोडेंट के इस न्यायालय में हमारे समक्ष पेश किया कि ग्राम बडगांव तहसील शिवगंज की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 679/8/24 (खसरा नंबर 679/49) क्षेत्रफल 6.04 बीघा राजस्व लगान 3.10 रूपये अपीलांट के पिता शंकर पुत्र हीराजी जाति माली निवासी शिवगंज की कब्जासुदा खातेदारी की स्थित रही हैं अर्थात उक्त कृषि भूमि के एकमात्र खातेदार अपीलांट के पिता शंकर पुत्र हीराजी जाति माली निवासी शिवगंज रहे हैं। शंकर पुत्र हीराजी माली का निर्वसीयति स्वर्गवास दिनांक 21.12.2000 को हो चुका हैं। शंकर पुत्र हीराजी माली द्वारा अपने जीवनकाल में दो विवाह किये थे। अपनी प्रथम धर्मपत्नी श्रीमती हंजा के देहान्त होने के पश्चात दूसरा विवाह श्रीमती शांति से विवाह किया था। शंकर एवं शांति के दाम्पत्य जीवन से अपीलान्ट नारायण एवं कमला का जन्म हुआ एवं शंकर एवं श्रीमती शांति के दाम्पत्य जीवन से देवाराम, कानाराम, कैलाश एवं गीता का जन्म हुआ। इस प्रकार उक्त कृषि भूमि के एकमात्र खातेदार शंकर पुत्र हीराजी का निर्वसीयति स्वर्गवास होने के बाद उक्त कृषि भूमि में अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 लगाय 6 को विधिक उत्तराधिकारी के स्वामित्व हक अधिकार पैदा हुए। और जिस कृषि भूमि पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगाय 6 काबिज काश्त करते आ रहे हैं। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या एक, दो, तीन, पांच व छः ने अपीलांट के पुश्तैनी हक अधिकार हितो को छीनने के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 3 व 6 की माता श्रीमती शांति व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने रेस्पोडेन्ट 1,2,3 के हक में बिना खातेदारी हक अधिकारों के विधि विरूद्ध रिलीज डीड निष्पादित कर इसका नामान्तरकरण भी दर्ज करवाया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.09 15:33:20 IST
Reason: SelfAttested

व शंकर के विधिक वारिसानों के साथ बहैसियत खातेदार कब्जा शांतिपूर्वक चला आ रहा हैं। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट को पटवार हल्का बडगांव से दिनांक 23.09.2020 को ग्राम बडगांव के नामान्तरकरण संख्या 3811 स्वीकृति दिनांक 07.09.2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अवलोकन करने से जानकारी हुई कि स्व. शंकरजी के अन्य वारिसानों ने अपीलांट के बाला बाला राजस्व कर्मचारियों व ग्राम पंचायत के साथ मिलीभगत कर उक्त नामान्तकरण स्वीकृत कराया गया। ग्राम पंचायत बडगांव ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। अपीलांटी द्वारा उक्त अपील जैर अपील नामान्तरकरण कार्यवाही की जानकारी होते ही अन्दर अवधिकाल प्रस्तुत की है। सावधानी के तौर पर अपील के साथ धारा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम 1963 का आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं। इस प्रकार अपीलांट को ग्राम बडगांव के नामान्तरकरण संख्या 3811 स्वीकृति दिनांक 07.09.2016 की सम्पूर्ण कार्यवाही की जानकारी होते ही उक्त अपील विधिक सलाह लेकर बिना देरी के प्रस्तुत की जा रही हैं। इस प्रकार देरी को शमन किया जाकर अपील को अन्दर अवधिकाल शुमार किया जाना न्यायोचित हैं। साथ ही कोविड–19 महामारी की प्रतिकूल परिस्थितियों में देरी को कन्डोन किया जाना न्यायसंगत हैं। विधिक प्रावधानों के तहत कानूनन अवैध, शून्य एवं निष्प्रभावी कार्यवाही,आदेश, निर्णय के विरूद्ध अपील हेतु धारा 3 मर्यादा अधिनियम 1963 के तहत कोई अवधि नहीं हैं। अपीलार्थी ने अन्दर अवधिकाल अपील प्रस्तुत की हैं। अतः अपीलांट द्वारा की गई अपील स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बडगांव द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3811 दिनांक 07.09.2016 को निरस्त करने का निवेदन किया गया हैं।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर किए जाकर रेस्पोडेण्ट को सम्मन जारी हुए। रेस्पोडेण्ट संख्या एक ता तीन की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पराज सोनी व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री दिलिपसिंह देवडा ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 21.01.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 7 को नोटिस तामिल होने व उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनका जवाब बंद किया गया। दिनांक 07.04.21 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मर्यादा अधिनियम का जवाब पेश किया गया। दिनांक 15.04.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 ने अपील का जवाब पेश किया। दिनांक 05.08.2021 को रेस्पोडेन्ट संख्या 6 का जवाब बंद किया गया। दिनांक 23.09.2022 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने अपील का जवाब पेश किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी पेश किया। दिनांक 10.01.2023 को तहसीलदार शिवगंज को पत्र क्रमांक 26 दिनांक 10.01.23 से यह रिपोर्ट चाही गई कि प्रार्थी शंकर पुत्र हीराजी माली द्वारा यह संपत्ति किस तरह से अर्जित की गई है, जिस पर तहसीलदार शिवगंज ने अवगत कराया कि उक्त वसियतनामा से संबंधित कोई पत्रावली इस कार्यालय में कायम नहीं की गई हैं। दिनांक 23.08.2024 को उभय वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया गया कि अपीलांट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3811 स्वीकृति दिनांक 07.09.2016 से व्यथित होकर इस न्यायालय में अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 22.10.2020 को अपील प्रस्तुत की गई है, जो अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीगण द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थीगण ने यह उल्लेख किया है कि "प्रार्थीगण को उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट को पटवार हल्का बडगांव से दिनांक 23.09.2020 को नामान्तरकरण की प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अन्दर मियाद 30 दिन में अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।" जबकि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह उल्लेख किया गया है कि " विवादित आराजी के नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट को भलीभांति सन 2016 में ही हो गई थी, जिससे कानूनन नामान्तरकरण स्वीकृति की जानकारी होने के 30 दिन के भीतर–भीतर अपीलांट द्वारा अपील का पेश किया जाना कानूनन आवश्यक था परन्तु जान बुझकर उक्त अपील नामान्तरकरण स्वीकृति के करीब 4 साल बाद पेश की हैं, जो अपील मर्यादा अधिनियम के तहत अवधिपार होने के कारण काबिल खारिज हैं।" इस प्रकार यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट के अनुसार वादग्रस्त आराजी की वसियतनामा से संबंधित पत्रावली उनके कार्यालय में आदिनांक तक कायम नहीं की हुई हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.09 15:33:20 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज–3

जिससे यह साबित है कि उक्त वादग्रस्त आराजी स्व. शंकरलाल पुत्र हीराजी माली निवासी शिवगंज की स्वअर्जित सम्पत्ति थी, जिसका कानूनन रूप से वसियत करने का अधिकार शंकर पुत्र हीराजी माली को था। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रार्थी संख्या 1 ता 4 प्रश्नगत नामान्तरकरण के संबंध में वर्ष 2016 से ही जानकारी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रार्थी अपीलार्थीगण ने प्रश्नगत नामान्तरकरण के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 22.10.2020 को अपील प्रस्तुत की गई है, जो अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा प्रार्थी अपीलार्थीगण ने धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि के प्रत्येक दिन का कोई युक्तियुक्त कारण भी नही दर्शाया है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

## —::आदेश::—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने एवं भलीभांति साबित नही होने से खारिज किया जाता है। तदनुसार अपील अपीलार्थीगण अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण को भी मियाद बाहर होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23 अगस्त 2024 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

( शकुंतला चौधरी )
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.09.09 15:33:20 IST
Reason: SelfAttested